न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 05/2022/अपील

1. गणेश सिंह
2. शंकर सिंह
3. गिरवर सिंह

} पुत्रगण ऊम सिंह उर्फ उजीण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेरी तह. व जिला सीकर

—अपीलांट्स

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र कुशल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेरी तह. व जिला सीकर (फौत)

   1/1. महेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह निवासी ग्राम बेरी हाल निवासी फ्लेट नम्बर ई–102, प्रथम फ्लोर, महिमा आईरिश, 2 प्लाट नम्बर 3, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

   1/2. नरेन्द्र सिंह
   1/3. शंकर सिंह
   1/4. रणवीर सिंह

   } पुत्रगण रिछपाल सिंह

   1/5. विनोद कंवर पत्नी सुमेर सिंह

   1/6. आनन्द सिंह पुत्र सुमेर सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम बेरी, तहसील व जिला सीकर (राज.)

   1/7. पूनम कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी अनिल सिंह जाति राजपूत हाल निवासी संजय नगर, खेतडी, जिला नीमकाथाना (राज.)

   1/8. विनोद कंवर पुत्री रिछपाल सिंह हाल निवासी मौल्यासी तह. धोद जिला सीकर (राज.)

   1/9. मंजू कंवर पुत्री रिछपाल सिंह हाल निवासी रावजी की ढाणी मलकेडा तह. व जिला सीकर (राज.)

   1/10. रेशम कंवर पुत्री रिछपाल सिंह हाल निवासी हीरामल नगर, देवगढ जिला सीकर (राज.)

   1/11. संजू कंवर पुत्री रिछपाल सिंह हाल निवासी रलावता तह. दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

2. हणमान पुत्र बालु जाति बमार निवासी ग्राम बेरी तह. व जिला सीकर (नाऔलाद फौत ज्ञात होने पर वारिसान का नाम अंकित किया जावेगा)
3. शिवचन्द पुत्र गंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेरी तह. व जिला सीकर
4. तहसीलदार महोदय, सीकर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उपस्थितः—

1. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022
ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर

निर्णय

दिनांकः 23 जुलाई, 2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील वकील **श्री विजयसिंह तंवर** द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा भरे गये ग्राम बेरी के नामान्तरकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

(1) कृषि भूमि खसरा नम्बर 2268 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम बेरी, जिसके पुराने खसरा नम्बर 567/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा थे की खातेदारी उजीण सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत निवासी बेरी के नाम से थी जिसका इन्द्राज मिसल हकीयत ठिकाना सीकर सम्वत् 1998 में है। उक्त भूमि की खातेदारी उजीण सिंह को मिसल नम्बर 633 दिनांक 20.09.1938 तारीख फैसला 22.06.1935 के द्वारा तत्कालीन सीनियर ऑफिसर सीकर द्वारा दी गयी थी। जिसकी खातेदारी इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर चली आ रही थी। बाद में इसकी खातेदारी हणमान पुत्र बालु चमार हिस्सा 1/2, शिवचन्द ऊम सिंह गंगा सिंह हिस्सा 1/2 राजस्व रेकार्ड में हो गयी जो बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के व बिना किसी ट्रांसफर डीड के दर्ज हो गयी तथा जमाबन्दी चौशाला जमाबन्दी सम्वत् 2073 से सम्वत् 2076 तक इसी अनुसार चलती रही। इसके पश्चात् वर्ष 2015 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह ने एक दावा प्रतिवादीगण की गलत वल्दीयत अंकित करते हुए न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए हणमान पुत्र बालू जो दावे में प्रतिवादी सं. 1 था की कोई जाति अंकित नहीं की व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता का नाम भी अंकित नहीं किया तथा ना ही कोई जाति अंकित नहीं की व मुकदमा नम्बर 295/15 उनवानी रिछपाल सिंह बनाम हणमान न्यायालय ए.सी.एम. द्वितीय सीकर मे पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 05.03.2021 को किया जाकर वादी रिछपाल सिंह का दावा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट रिछपाल सिंह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर में पेश की गयी जहां पर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 हणमान की जाति राजपूत दर्शित कर अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

38/2021 उनवानी रिछपाल सिंह बनाम हणमान का निर्णय दिनांक 22.04.2022 को किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर 2268 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम बेरी का खातेदारी काश्तकार घोषित कर दिया गया जबकि अपीलांट का पिता उम सिंह दिनांक 27.03.1985 को ही फौत हो चुका था। मृत व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय व राजस्व अपील अधिकारी सीकर में निर्णय व डिक्री पारित की जिसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में पेश कर दी गयी जिसका ज्ञान रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह को होने के बावजूद राजस्व मण्डल मे अपील लम्बित होने के बावजूद चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया।

(2) अधीनस्थ तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह से साज कर चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण पेन्डेन्सी ऑफ सूट अर्थात् अपीलेट न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत तस्दीक किया गया है तथा लिस पेन्डेन्सी ऑफ सूट के सिद्धान्त से भी टकराता है, जो खारिज होने योग्य है।

(3) रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह ने न्यायालय सहायक कलेक्टर व राजस्व अपील अधिकारी के यहां तथ्यो को छुपाते हुए दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 हणमान की जाति अंकित नहीं की तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की भी कोई जाति अंकित नहीं की तथा प्रतिवादी सं. 3 उम सिंह जो कि दिनांक 27.03.1985 को ही फौत हो चुका था मृत व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश कर गलत रूप से तामिल प्रक्रिया पूरी किये बिना अखबार प्रकाशन तामिल हेतु करवाया गया जिसमें जाति अथवा मृत व्यक्ति के खिलाफ किया गया प्रकाशन प्रारम्भतः प्रभावहीन है तथा वह सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत तामिल प्रक्रिया होने से उसी के आधार पर आगे प्रकरण विचाराधीन रहते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के आधार पर चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

(4) न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर में वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 रिछपाल सिंह का दावा खारिज हो जाने के पश्चात् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए तथ्यो को छुपाते हुए अपील प्रस्तुत

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

की जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 को सभी को बालू के पुत्र बताते हुए व सभी की जाति राजपूत अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि शिववन्द, उम सिंह व गंग सिंह के पिता का नाम अलग था तथा जाति राजपूत थी तथा मात्र हणमान के पिता का नाम बालू तथा जाति उसकी चमार थी तथा उनकी तामिल भी जरिये अखबार प्रकाशन करवाकर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की अन्देखी करते हुए तथ्यो को छुपाते हुए दावा डिक्री करवाया गया तथा उसी के आधार पर चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो खारिज होने योग्य है तथा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही उम सिंह रेस्पोडेन्ट सं. 3 था की मृत्यु दिनांक 27.03.1985 को ही हो चुकी थी उक्त डिक्री भी मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गयी है इस कारण भी चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है।

(5) अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष यह तथ्य रेकार्ड पर था कि हणमान पुत्र बालु की जाति चमार थी जो अनुसूचित जाति का सदस्य था। चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण से अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि स्वर्ण कास्ट के नाम अंकित की गयी है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

(6) रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए तथ्यो को छुपाते हुए दावा व अपील प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है कानूनन कोई भी व्यक्ति तथ्यो को छुपाते हुए गलत आधार पर प्राप्त की गयी डिक्री प्रारम्भतः शून्य होती है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने इन तथ्यों की ओर ध्यान न देकर चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो खारिज होने योग्य है।

(7) अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण सं. 2870 दिनांक 11.05.2022 ग्राम बेरी तह. व जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

3. रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं आवेदन पत्र बाबत प्रारम्भिक विधिक आपत्ति पेश किया। जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

(1) अपीलकर्त्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के जरिए नामान्तकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022 ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर को चैलेन्ज किया गया है। अपीलकर्त्तागण अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार नहीं है। इसलिए उन्हें प्रस्तुत अपील दायरी का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। क्योकि कानूनन वही व्यक्ति अपील करने में सक्षम होता है जो अपीलाधीन निर्णय या आदेश में पक्षकार हो। अपीलाधीन निर्णय या आदेश से भिन्न व्यक्ति न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके ही अपील दायर कर सकता है। अपीलकर्त्तागण द्वारा अपील दायरी की अनुमति प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(2) अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिकी के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। जिसके खिलाफ अपीलांट्स द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत किया जाना अपील मेमो में अंकित किया गया है। अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पर एतराज उठाया गया है। उक्त एतराज के संबंध में न्यायालय को सुनवायी करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिकी के कायम रहते हुये प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है।

(3) प्रस्तुत अपील अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022 के खिलाफ दिनांक 14.06.2022 से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिज है।

(4) अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावे।

4. अपीलांट की ओर से जवाब आवेदन पत्र बाबत प्रारम्भिक विधिक आपत्ति पेश किया। जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

(1) अपील में प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 2870 दिनांक 11.05.2022 ग्राम बेरी तस्दीक किया गया है रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने एक नुमाईशी दावा संख्या 295/2015 तथ्यो को छुपाते हुए तथा अपीलांट की गलत वल्दीयत अंकित करते हुए सहायक कलेक्टर द्वितीय, सीकर के यहां प्रस्तुत किये जाने पर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

खारिज कर दिया गया था। उसके पश्चात् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपील सं. 38/2021 निर्णय दिनांक 22.04.2022 को अपील स्वीकार कर खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण के द्वारा प्राप्त हुयी है, जिसको चुनौती दी गयी है। चूंकि अपीलाण्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे, जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में इस प्रकार अंकित थी **"हणमान पुत्र बालु हिस्सा 1/2 शिवचन्द उमसिंह गंगसिंह हिस्सा 1/2"** दर्ज था। इस कारण एक खातेदार को अपील प्रस्तुत करने में किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्योकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तथ्यों को छुपाकर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। जिसके खातेदार द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। इस कारण उसे अनुमति लेने की कानूनन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भूमियों का खातेदार कब्जाधारी है।

(2) यह तथ्य सही है कि अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर दी है। परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपील अवधि समाप्त हुए बिना ही अपील अवधि समाप्त होने से पूर्व ही चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है तथा चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण स्टेण्ड रहने से अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत असर होता है तथा लिस्पेन्डेन्सी ऑफ सूट के सिद्धान्त से भी टकराता है। अपील विचाराधीन रहते हुए कानूनन कोई भी नामान्तरकरण कानूनन तस्दीक नहीं किया जा सकता है।

(3) अपीलांट ने नामान्तरकरण व निर्णय डिक्री की जानकारी होते ही अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। नामान्तरकरण दिनांक 11.05.2022 को तस्दीक किया गया है।

(4) अतः जबाब आवेदन पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन बिना शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है तथा आवेदन आधारहीन व तथ्यों व कानून के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस वकील रेस्पो. ने आवेदन पत्र बाबत प्रारम्भिक विधिक आपत्ति में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं तथा वकील अपीलांट ने जवाब आवेदन पत्र बाबत प्रारम्भिक विधिक आपत्ति एवं अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

वकील रेस्पो. ने बहस के दौरान कथन किया है कि, चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में भरा गया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारापारित निर्णय की अपील न्यायालय राजस्वमण्डल राज. अजमेर में की हुई है, जो कि स्वयं अपीलांट ने भी स्वीकार किया है। अपीलकर्त्तागण अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय या आदेश से भिन्न व्यक्ति न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके ही अपील दायर कर सकता है। अपीलकर्त्तागण द्वारा अपील दायरी की अनुमति प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष धारा 96 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उन्हें प्रस्तुत अपील दायरी का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। क्योकि कानूनन वही व्यक्ति अपील करने में सक्षम होता है जो अपीलाधीन निर्णय या आदेश में पक्षकार हो। अतः अपील अपीलांट विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज की जावे।

वकील अपीलांट ने कथन किया है कि, रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए तथा अपीलांट की गलत वल्दीयत अंकित करते हुए एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर में प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त वाद निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां की गयी थी, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपील स्वीकार कर न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के निर्णय को अपास्त कर निर्णय दिनांक 22.04.2022 पारित किया गया जिसके पश्चात नामान्तरकरण के द्वारा खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम हुई है, जिसकी जानकारी अपीलांट को होते ही अपील पेश की गयी है। चूंकि अपीलांट पूर्व में उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे, इस कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(1) ग्राम बेरी के चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022 से सम्बन्धित भूमियों बाबत वाद राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर द्वारा निर्णित किया गया था, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर में की गयी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2022 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर दिया गया।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 2870 दिनांक 11.05.2022 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में भरा गया है।

(2) वकील रेस्पो. ने कथन किया है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 22.04.2022 की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां की गई है। जिसको वकील रेस्पो. ने स्वीकार किया है।

(3) अपीलांट यदि विवादित आराजी पर अधिकार रखते हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। डिक्री के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण की सुनवायी इस न्यायालय में नहीं हो सकती है।

(4) अपीलांट का जमाबंदी में नाम नहीं है। अपीलांट ने अपनी अपील के साथ धारा 96 का आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त नहीं की है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट श्रवणाधिकार में विधि द्वारा वर्जित होने से **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक **23 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर